

विज्ञापन सं० - 01/2019

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सूचना

(चिकित्सक कृपया ध्यान दें)

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2401 दिनांक-18.07.2007 के तहत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 व संशोधित नियमावली 2013 के अन्तर्गत **Walk-in-counselling** का आयोजन किया जा रहा है।

(क) प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु मापदंड/शर्तें:-

1. प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के रिक्त पदों पर यह नियोजन 01 (एक) वर्ष अथवा नियमित प्रोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता :- चिकित्सक शिक्षकों के लिए सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 व संशोधित नियमावली 2013 तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार।

अर्हता

1. **प्राध्यापक** - भारतीय चिकित्सा परिषद् TEQ के अनुसार, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में सह-प्राध्यापक के पद पर न्यूनतम 03 वर्षों का अध्यापन का अनुभव एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में दिनांक-08.06.2017 से प्रथम अथवा पत्राचार लेखक के रूप में न्यूनतम 04 शोध पत्र प्रकाशित अथवा प्रकाशन हेतु स्वीकृत हो, जिसमें सह-प्राध्यापक के पद पर रहते न्यूनतम 02 शोध पत्र प्रकाशित हो। दिनांक-08.06.2017 के पूर्व प्रथम/द्वितीय लेखक के रूप में ही मान्य होगा।
 2. **सह-प्राध्यापक** - भारतीय चिकित्सा परिषद् TEQ के अनुसार, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर न्यूनतम 04 वर्षों का अध्यापन का अनुभव एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर रहते राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में दिनांक-08.06.2017 से प्रथम अथवा पत्राचार लेखक के रूप में न्यूनतम 02 शोध पत्र प्रकाशित अथवा प्रकाशन हेतु स्वीकृत हो। दिनांक-08.06.2017 के पूर्व प्रथम/द्वितीय लेखक के रूप में ही मान्य होगा।
- नोट-** शोध-पत्रों एवं जर्नल की मान्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय चिकित्सा परिषद् के वेबसाईट पर उपलब्ध है।
3. (i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किया जाएगा-

(क) तीन एम०बी०बी०एस० विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग-

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोट:- एक या अधिक एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले, खास एम०बी०बी०एस० परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय-समूह में प्राप्तांक -

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

- (ग) एम०डी०/एम०एस० अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशियलिटी में समकक्ष मानी गयी अहर्ता - 10 अंक
- (घ) उसी स्पेशियलिटी में पी०एच०डी०, डी०एम०,एम०सी०एच० - 10 अंक
- (ङ) सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा का कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) - 10 अंक

नोट:- ऐसे एम०आर०सी०पी०, एफ०आर०सी०एस० आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आबंटित नहीं किया जायेगा।

(4) तीन विश्वविद्यालय एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1(एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(5) (क) अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी बिहार स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1(एक) अंक।

(ख) अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2(दो) अंक।

(ग) जर्नल में प्रकाशन हेतु एम०सी०आई० की अद्यतन दिशा-निर्देश ही मान्य होगा।

(ख) जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता एम०सी०आई० से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) संविदा पर नियोजन के उपरांत स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही वेतन महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होंगे।

(घ) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को उक्त हेतु विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) उम्र सीमा (01.01.2019 को अधिकतम) -

- प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के लिए दिनांक-01.01.2019 को अधिकतम उम्र सीमा 66 वर्ष होगा।

(च) (i) संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जाएँगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

Handwritten signature

(ii) आवेदक **counselling** के समय अपने साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं आवश्यकतानुसार **अग्रसारण** अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(छ) **मानदेय :-**

- सह-प्राध्यापक - ₹0 86,500 /- (छियासी हजार पाँच सौ ₹0)
- प्राध्यापक-₹0 1,32,000 /- (एक लाख बत्तीस हजार ₹0)

कार्य संतोषप्रद होने पर प्रत्येक वर्ष 10% की कुल मानदेय में वृद्धि देय होगी।

(ज) उपरोक्त चयन हेतु विभागवार निम्न कार्यक्रमानुसार **Walk-in-counselling** का आयोजन किया गया है:-


काउंसलिंग का कार्यक्रम

क्र0 सं0	विभाग का नाम एवं काउंसलिंग की तिथि	क्र0सं0	विभाग का नाम एवं काउंसलिंग की तिथि	क्र0सं0	विभाग का नाम एवं काउंसलिंग की तिथि
काउंसलिंग स्थल -आर0एस0बी0 ऑडिटोरियम, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना समय- 10:00 बजे पूर्वाह्न से					
25.02.2019		26.02.2019		27.02.2019	
1.	एनॉटोमी	09.	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	16.	औषधि
2.	फिजियोलॉजी	10.	चर्म एवं रति रोग	17.	हड्डी
3.	बयोकेमिस्ट्री	11.	रेडियोलॉजी	18.	नेत्र रोग
4.	माइक्रोबायोलॉजी	12.	रेडियोथेरापी	19.	निश्चेतना
5.	पी0एस0एम0	13.	नाक, कान, एवं गला	28.02.2019	
6.	एफ0एम0टी0	14.	मनोरोग	20.	स्त्री एवं प्रसव रोग
7.	फार्माकोलॉजी	15.	शिशु रोग	21.	सर्जरी
8.	पैथोलॉजी	01.03.2019		22.	पी0एम0आर0
		23.	दंत विभाग		

(झ) चयन का आधार मेधा क्रमांक होगा जो विभिन्न मापदंडों के अनुसार प्राप्त अंक, स्नातकोत्तर उत्तीर्णता का वर्ष एवं आयु के आधार पर तैयार होगा।

(ञ) काउंसलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(ट) विभागवार रिक्तियों की सूची संलग्न प्रकाशित है। रिक्तियाँ घट-बढ़ सकती हैं।


 (विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार

राज्य के 09 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सह-प्राध्यापक के आरक्षणवार रिक्त पदों की विवरणी:-

क्र०	विभाग का नाम	कुल रिक्ति	अनारक्षित			अत्यंत पि० वर्ग			पि० वर्ग			अनु० जाति			अनु० जन-जाति			पिछड़े वर्ग की महिला	कुल	स्वतंत्रा सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिये आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	विकलांग उममीदवारों के लिए (4%) आरक्षित पदों की संख्या
			कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष				
1	एनाटॉमी विभाग	21	07	03	04	05	00	05	02	00	02	05	00	05	01	00	01	01	21	00	01
2	फिजियोलॉजी	28	12	04	08	06	00	06	04	00	04	04	01	03	01	00	01	01	28	00	01
3	बायोकेमिस्ट्री	23	08	03	05	05	01	04	02	00	02	06	01	05	01	00	01	01	23	00	01
4	फार्माकोलोजी	22	10	03	07	05	01	04	01	00	01	05	01	04	00	00	00	01	22	00	01
5	माइक्रोबायोलॉजी	22	11	04	07	05	01	04	00	00	00	04	00	04	01	00	01	01	22	00	01
6	पैथोलॉजी	26	11	03	08	05	01	04	01	00	01	07	01	06	01	00	01	01	26	00	01
7	पी०एस०एम०	16	05	02	03	05	00	05	00	00	00	05	01	04	00	00	00	01	16	00	00
8	एफ०एम०टी०	23	08	02	06	06	01	05	03	00	03	04	01	03	01	00	01	01	23	00	01
9	औषधि	13	01	01	00	05	00	05	01	00	01	04	00	04	00	00	00	01	13	00	00
10	टी०बी० एण्ड चेस्ट	20	10	03	07	04	01	03	02	01	01	02	01	01	00	00	00	01	20	00	01
11	चर्म एवं रति रोग	21	10	03	07	04	01	03	02	01	01	04	01	03	00	00	00	01	21	00	01
12	सर्जरी	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	जेरियाट्रिक्स	05	03	01	02	01	00	01	00	00	00	01	00	01	00	00	00	00	05	00	00
14	शिशु रोग	14	06	02	04	02	01	01	00	00	00	04	01	03	01	00	01	01	14	00	01
15	स्त्री रोग एवं प्रसव	12	02	01	01	06	01	05	01	01	00	03	00	03	00	00	00	00	12	00	01
16	पी०एम०आर०	17	09	03	06	04	01	03	01	00	01	02	01	01	00	00	00	01	17	00	01
17	नेत्र रोग	11	04	01	03	02	01	01	02	00	02	01	01	00	01	00	01	01	11	00	00
18	रेडियोलॉजी	32	15	05	10	06	02	04	03	01	02	06	01	05	01	00	01	01	32	00	01
19	निश्चेतना	22	12	04	08	05	01	04	01	01	00	03	01	02	00	00	00	00	22	00	01
20	मनोरोग	20	11	04	07	04	01	03	00	00	00	04	01	03	00	00	00	01	20	00	01
21	हड्डी	11	03	01	02	04	00	04	00	00	00	03	00	03	00	00	00	01	11	00	00
22	नाक, कान एवं गला	14	06	02	04	03	00	03	01	00	01	02	00	02	01	00	01	01	14	01	00
23	रेडियोथेरेपी	19	10	03	07	02	01	01	03	01	02	03	01	02	00	00	00	01	19	00	01
24	दंत रोग	06	03	00	03	01	00	01	00	00	00	02	01	01	00	00	00	00	06	00	00
कुल योग-		418	177	58	119	95	16	79	31	06	25	84	15	69	09	00	09	21	418	01	16

राज्य के 09 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक के आरक्षणवार रिक्त पदों की विवरणी:-

क्र०	विभाग का नाम	कुल रिक्ति	अनारक्षित			अत्यंत पि० वर्ग			पि० वर्ग			अनु० जाति			अनु० जन-जाति			पिछड़े वर्ग की महिला	कुल	स्वतंत्रा सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिये आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	विकलांग उममीदवारों के लिए (4%) आरक्षित पदों की संख्या	
			कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष					कुल रिक्ति
1	एनाटॉमी विभाग	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	फिजियोलॉजी	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	फार्माकोलॉजी	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	बायोकेमिस्ट्री	05	01	00	01	02	00	02	01	00	01	01	00	01	00	00	00	00	00	05	00	00
5	माइक्रोबायोलॉजी	07	03	01	02	03	01	02	00	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00	07	00	00
6	पैथोलॉजी	08	03	01	02	02	00	02	00	00	00	03	00	03	00	00	00	00	00	08	00	00
7	पीएसएमएम	08	04	02	02	02	00	02	02	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	08	00	01
8	एफएमटी	09	05	01	04	03	01	02	00	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00	09	00	01
9	औषधि	13	06	03	03	04	01	03	02	01	01	00	00	00	00	00	00	01	13	00	01	01
10	टीबीए एण्ड वेस्ट	10	04	02	02	03	00	03	01	01	00	02	01	01	00	00	00	00	10	00	01	01
11	चर्म एवं रति रोग	04	02	00	02	02	00	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	04	00	00	00
12	सर्जरी	13	05	01	04	04	00	04	03	00	03	00	00	00	00	00	00	01	13	00	00	00
13	शिशु रोग	09	02	00	02	04	00	04	01	00	01	01	00	01	00	00	00	01	09	00	00	00
14	स्त्री रोग एवं प्रसव	03	00	00	00	03	00	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	03	00	00	00
15	पीएमआर	10	05	02	03	02	01	01	01	00	01	02	01	01	00	00	00	00	10	00	00	00
16	नेत्र रोग	03	02	01	01	01	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	03	00	00	00
17	रेडियोलॉजी	13	05	02	03	04	01	03	01	00	01	02	01	01	00	00	00	01	13	00	01	01
18	निश्चयना	13	05	01	04	04	00	04	00	00	00	03	00	03	00	00	00	01	13	00	01	01
19	मनोरोग	05	01	00	01	02	00	02	01	00	01	01	00	01	00	00	00	00	05	00	00	00
20	हृद्दी	01	00	00	00	01	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00
21	नाक, कान एवं गला	07	02	02	02	02	01	01	01	00	01	02	00	02	00	00	00	00	07	00	00	00
22	रेडियोथेरेपी	08	05	01	04	01	01	00	00	00	00	02	01	01	00	00	00	00	08	00	00	00
23	दंत रोग	06	02	00	02	02	01	01	01	00	01	01	00	01	00	00	00	00	06	00	00	00
24	जेरियाट्रिक्स	01	01	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00
कुल योग-			156	63	20	43	51	08	43	15	03	15	22	06	16	00	00	00	05	156	00	06